19/07/2023 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उप० आये। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार की जाती है एवम् विस्तृत निर्णय पृथक में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में संलग्न निर्णय की प्रति के साथ वास्ते पालनार्थ तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। पत्रावली बाद तकमील नतीजा शुमार हो। रजिस्टर से कम हो। जमा जिला रिकार्ड रूम हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पेदन सहायक कलक्टर, मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बड़गूजर (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
69 / 2022	22.11.2022	19.07.2023

//उनवान//

1 कमलेश पुत्री लायकराम जाति अहीर निवासी पलावा तह0 मुण्डावर, अलवर राजस्थान पत्नि राजसिंह हाल निवासी जैनाबाद तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

:- प्रार्थीया

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

:- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः- श्री मनोज प्रजापत – वकील प्रार्थीया

निर्णय दिनांक- 19.07.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित आये। प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि आ0ख0नं0 1519, 1520, 1523, 1524, 1525, 2526, 1527, 1547, 1548, 1549, 860, 1078, 1079, 1080, 1571, 1572, 1574, 1575, 1483, 1484, 1485, 1486, 1521, 1734, 1894, 1958, 2029, 395, 396, 480, 484, 560, 648, 649, 750, 914, 927, 1394, 1580, 1304, 1305, 1319, 1320, 1321, 1494, 1495, 1496, 1497, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर, अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त आराजी मिन प्रार्थी को अपने मृतक पिता से विरासत में प्राप्त हुई है एवं कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा प्रार्थीया के कब्जेकाश्त एवं हिस्से बाबत कोई विवाद भी नहीं है। प्रार्थीया अपने हिस्से पर निरंतर बेरोक-टोक काबिज होकर काश्त कर रही है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम घर व गांव में बुलाने वाला उपनाम कृष्णा का अंकन हो रहा है जबकि प्रार्थीया के समस्त पहचान के दस्तावेजात में वास्तविक नाम कमलेश अंकित है व प्रार्थीया के बच्चों के शेक्षणिक रिकॉर्ड में भी कमलेश नाम दर्ज है। प्रार्थीया के परिवार में कृष्णा नाम का कोई दीगर व्यकित नहीं है ना ही कभी पहले रहा है। कमलेश का ही उपनाम कृष्णा है आदि-आदि अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृष्णा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम कमलेश दर्ज किए जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की बाद विधिवत तलबी रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में नकल जमाबंदीयात के साथ-साथ ग्राम पंचायत पलावा का दिनांक 04.11.2022 में जारी प्रमाणपत्र पेश किया जिसमें कृष्णा पुत्री लायकराम जाति अहीर ग्राम पलावा की मूल निवासी है जिसको गांव में कृष्णा और कमलेश दोनों नामों से जाना जाता है और कृष्णा और कमलेश दोनों एक महीला के नाम है। कृष्णा उर्फ कमलेश पुत्री लायकराम को भली भांति जानता है का अंकन है तथा प्रार्थीया ने पहचान के दस्तावेजात स्वरूप मतदाता पहचान

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक की छाया प्रतियां पेश की है जिनमें कमलेश नाम का अंकन है साथ ही प्रार्थीया ने अपना स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 23.05.2023 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीया का पिता से विरासत में प्राप्त उक्त आराजीयात पर नियमित व निरंतर बेरोक–टोक कब्जा है तथा कब्जेकाश्त व हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीया का रिकॉर्डेड नाम कमलेश है एवं प्रार्थीया को गांव में उपनाम कृष्णा से भी जाना जाता है लेकिन पिता की विरासत की इंतकाल में उपनाम कृष्णा का अंकन हुआ है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक एवं रिकॉर्डेड नाम कमलेश है तथा प्रार्थीया के पहचान के समस्त दस्तावेजात एवं प्रार्थीया के बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी कमलेश नाम अंकित है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक की छाया प्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है अभिकथन करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में कृष्णा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम कमलेश दर्ज कराए जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किए जाने पर उपरोक्त सुनी गई बहस एवं विवेचन अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं आ0ख0नं0 1519, 1520, 1523, 1524, 1525, 2526, 1527, 1547, 1548, 1549, 860, 1078, 1079, 1080, 1571, 1572, 1574, 1575, 1483, 1484, 1485, 1486, 1521, 1734, 1894, 1958, 2029, 395, 396, 480, 484, 560, 648, 649, 750, 914, 927, 1394, 1580, 1304, 1305, 1319, 1320, 1321, 1494, 1495, 1496, 1497, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर, अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम कृष्णा पुत्री लायकराम को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं कृष्णा के स्थान पर कमलेश पुत्री लायकराम दर्ज रिकॉर्ड किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **19.07.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

19-7-2023

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Scanned with OKEN Scanner